प्रेस विज्ञप्ति
22.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल और अन्य के मामले के संबंध में 21 मार्च 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत मेसर्स पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। वे निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश योजनाओं के संचालन में शामिल थे। इन योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला है कि हरसतिंदर पाल सिंह हेयर मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड की कई सहयोगी कंपनियों में निदेशक थे, जिनमें दो ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं- मेसर्स पर्ल्स ऑस्ट्रेलेशिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ऑस्ट्रेलेशिया मिराज आई-प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। मेसर्स पीएसीएल और उसके सहयोगियों ने अपराध की आय (पीओसी) के 657.18 करोड़ रुपये हरसतिंदर पाल सिंह हेयर द्वारा नियंत्रित इन ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं में विपथित किया। इन निधियों को फिर ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश किया गया। इसके अलावा, हरसतिंदर पाल सिंह हेयर 25 जुलाई 2016 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मेसर्स पीएसीएल और उसकी संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों (पीओसी) को भी नष्ट कर रहे थे।

मामले में, ईडी ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियां और भारत में 244 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इन संपत्तियों का विवरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया गया है, जो संपत्ति निपटान की प्रक्रिया की देखरेख और निवेशकों को धन वापस करने के लिए है। इसके अलावा, ईडी ने मेसर्स पीएसीएल, निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ मामले में दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।